न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./113/2022

1. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल जाति खाती निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप नाथूलाल जाति खाती निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर
2. बजरंग पुत्र हजारी जाति कीर निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर
3. गोपाल पुत्र कजोड़ जाति तेली निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर
4. जीवराज पुत्र महावीर जाति कीर निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर
5. शिवराज पुत्र महावीर जाति कीर निवासी बड़ली तहसील भिनाय अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री विष्णुदत्त शर्मा
2. वकील अप्राथी –श्री धर्मवीर बामणियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 658 में दर्ज खसरा नं. 29 रकबा 0.25 है0 एवं ख0नं. 731 रकबा 0.28 कुल किता 02 कुल रकबा 0.53 हैं0 है,** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 6 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनां पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री धर्मवीर बामनियां द्वारा वकालतनाम तथा जवाब पेश किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। अप्रार्थीगणों से जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर पत्रावली में बहस नियत की गई।

बहस उभयपक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अकिंत कथनों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा आये दिन विवाद व्यवधान उत्पन्न किया जाता है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी की स्थाई पत्थरगढ़ी बाबत् आदेश प्रदान किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 द्वारा वकील प्रार्थी के कथनों तथा दलिलों का खण्ड़न करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता द्वारा प्रश्नगत आराजी का बैचान अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 के पुर्वजों को कर दिया गया था, तब से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर अप्रार्थीगणों का ही कब्जा काश्त है। परन्तु अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

अशिक्षित होने के कारण भूमि का पंजीबद्ध विक्रय पत्र निस्पादित नहीं करवा पाये। अब प्रार्थी राजस्व दस्तावेजात अपने नाम होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगणों का मौके से बैदखल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–कर्जे के खारीज किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वकील अप्रार्थीगणों के कथनों में सत्यता नहीं है। अप्रार्थी वकील द्वारा कोई भी ऐसे दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित होता हो की प्रार्थी के पिता द्वारा प्रश्नगत आराजी का बैचान अप्रार्थीगणों के हक में किया गया हो। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया तथा जवाब पत्र अनुसार प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन व बहस उभय पक्षकारों का मनन करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बड़ली पटवार क्षेत्र बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 658 में दर्ज खसरा नं. 29 रकबा 0.25 है0 एवं ख0नं. 731 रकबा 0.28 कुल किता 02 कुल रकबा 0.53 है0 है,** प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **देवलियांकलां** को 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner